



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-25072026-274822
CG-TL-E-25072026-274822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3885]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3885]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVAN 1, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद,, 20 जुलाई, 2026

का.आ. 4055(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (7ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारी को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजना के संबंध में तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्य निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.

तालिका

क्र.सं.	विशेष रेलवे परियोजना	राज्य	जिला	भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दयानंदनगर और मौला-अली स्टेशनों के बीच समपार सं. 2/एमएलवाई के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल और सीमित ऊंचाई वाला उपमार्ग का निर्माण	तेलंगाना	मेडचल - मलकाजगिरी	राजस्व मंडल अधिकारी, मलकाजगिरी मंडल

[फा. सं. Y/GS/LC.2MLY/eGazette/2026/7A]

एल. सांबशिव राव, मुख्य परियोजना प्रबंधक गति शक्ति/ II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 20th July, 2026

S.O. 4055(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in the column(5) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Special Railway Project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Special Railway Project	State	District	Competent authority for Land Acquisition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Construction of Road Over Bridge and Limited Height Subway in lieu of LC No. 2/MLY between Dayanandnagar and Moula Ali Stations	Telangana	Medchal - Malkajgiri	Revenue Divisional Officer, Malkajgiri Division.

[F. No. Y/GS/LC.2MLY/eGazette/2026/7A]

L. SAMBASIVA RAO, Chief Project Manager Gati Shakti/II